कम है। खसरा संख्या 588/117 जिसमा जमाबन्दी में रकबा 10.01 बीघा है लेकिन मौके पर रकबा 11.11 बीघा है जो रिकॉर्ड से 01.10 बीघा अधिक है, जिससे वादीगण के खसरे का रकबा कम हो गया। उक्त भूमि खाली होने से खसरा संख्या 588/117 में दर्ज हो गई एवं प्रतिवादी संख्या 01 के पास उक्त खसरे में मात्र 10.01 बीघा का स्वामित्व था जिससे 10.01 बीघा भूमि के अलावा 02.12 बीघा भूमि इस खसरे में सड़क गलत बनने से शामिल हो गई जो मौका रिपोर्ट, नक्शा एवं राजस्व अभिलेख से प्रामाणित है। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा लंगेरा के खसरा संख्या 588/117 की तरमीम रकबे अनुसार 10.01 बीघा करते हुए इसी खसरे की नक्शे में अवस्थित बाकी भूमि को वादीगण की खातेदारी काश्तकारी घोषित की जाती है तथा मूल खसरा संख्या 117 के अन्य खसरों में मौके अनुसार दुरूस्त करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है, साथ ही गैर मुमकीन सड़क जहां निर्मित है वहा तरमीग करते हुए खाली भूमि को तहसीलदार बाडमेर की रिपोर्ट के अनुसार संशोधन किया जाता है। **अतः तहसीलदार बाडमेर समस्त राजस्व रिकॉर्ड में निर्णय की पालना सुनिश्चित करावें।** खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(समदरसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 11/01/23 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर